भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 10**

22.11.2011 को उत्तर के लिए

**'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित पद'**

**10. श्री अम्बेथ राजन :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में समूह-वार अर्थात् समूह `क` से समूह `घ` तक के अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या का ब्यौरा क्या है ;

 (ख) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या में से सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों हेतु निर्धारित पदों की संख्या कितनी है ; और

(ग)अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार नहीं होने के क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

**(क) और (ख)** मंत्रालय में समूह वार कुल स्वीकृत संख्या और अनुसूचित जाति(एससी)और अनुसूचित जनजाति(एसटी) श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों की संख्या निम्नवत है:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **समूह** | **स्वीकृत संख्या** | **अनुसूचित जाति हेतु निर्धारित पद**  | **अनुसूचित जनजाति हेतु निर्धारित पद** |
| समूह क | 187 | 20 | 10 |
| समूह ख | 277 | 39 | 20 |
| समूह ग | 423 | 62 | 29 |
| **कुल** | **887** | **121** | **59** |
| **समूह घ** | छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अधिसूचित किए गए केन्द्रीय सिाäवल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के अनुसार और वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-आईसी के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सभी समूह 'घ' पदों का समूह 'ग' में उन्नयन कर दिया गया है । अत: पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारियों का विवरण ऊपर दिए गए समूह 'ग' पदों में समाविष्ट कर दिया गया है ।  |

(ग) मंत्रालय में अनुसूचित जातियों हेतु 121 पदों की तुलना में अनुसूचित जाति के 142 पदधारी है । अनुसूचित जनजातियों के 59 पदों की तुलना में 26 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है । तथापि, पदों की कतिपय श्रेणियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पदधारी निर्धारित कोटे से कम हैं । इस कमी के कारण हैं (i) सभी वैज्ञानिक पदों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण केवल 2006 के दौरान ही प्रभावी होना और (ii) कतिपय संवर्ग पदों में अनुसूचित जातियों हेतु निर्धारित पदों के संबंध में पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त न होना ।

\*\*\*\*